

(b) Rs. 4,12,993.15.

(c) 11,429 post offices.

(d) 53,162 villages are being served once a week at present as against 58,073 villages on 1.1.1967. During the same period the number of villages receiving delivery of mails at an interval of more than a week has been brought down from 5,589 to 5,395.

कृषि विस्तार पाठ्य कार्यक्रम

9386. श्री कार सिंह :

श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

श्री बंशनारायण सिंह :

श्री बलराज मधोक :

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 11 अप्रैल, 1968 के अतरांकित प्रदेश संस्था 7034 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विस्तार पाठ्यक्रम पर कुल कितनी राशि खर्च हुई है और उसमें से कितनी राशि सरकार ने दी है ;

(ख) क्या इस शिविर के आयोजक ए० एफ० आर० ओ० से सम्बन्ध रखते हैं और क्या इस संस्था को ईसाई चलाते हैं, और

(ग) ए० एफ० पी० आर० ओ० ने भारत में कृषि उत्पादन पर अब तक कितनी राशि खर्च की है और उसमें कितनी राशि सरकार ने दी है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इस पाठ्यक्रम पर 7,541 रुपये व्यय किये गये। यह समस्त व्यय एकशन फार फूड प्रोडक्शन ने वहन किया है और भारत सरकार ने इसके लिये कोई रकम नहीं दी थी।

(ख) इस प्रशिक्षण शिविर की व्यवस्था विस्तार शिक्षा संस्थान, नीलोखेड़ी (विस्तार निदेशालय) ने की थी और समस्त व्यय "एकशन फार फूड प्रोडक्शन" ने वहन किया था जो चर्च सम्बन्धी तथा स्वैच्छिक निकायों की खाद्य उत्पादन परियोजनाओं के सम्बन्ध, सहायता और

तकनीकी मार्ग दर्शन हेतु भारत में एक संयुक्त सेवा संगठन है।

(ग) अब तक एकशन फार फूड प्रोडक्शन ने भारत में कृषि उत्पादन पर 5,95,613,90 रुपये व्यय किये हैं। इस में से भारत सरकार ने कोई राशि नहीं दी है।

उत्तर प्रदेश में खीनी के एक मिल के लिए लाइसेंस

9387. श्री अ० सिंह सहगल : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कि उत्तर प्रदेश में पालिया कला खीनी में 9400 मीट्रिक टन क्षमता की खीनी का एक मिल लगाने के लिये लाइसेंस दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह लाइसेंस किस अवधि के लिये जारी किया गया था और इस मिल की की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, फवट्री को 31-10-1967 तक स्थापित करना था। क्योंकि फैक्ट्री की स्थापना हेतु भूमि के प्रबन्ध करने में विलम्ब होने की अशंका थी, फलतः 31-10-1968 तक समय बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार भूमि अभिग्रहण करने में अब सहायता कर रही है। पालियाकलां उत्पादकों को हिन्दु-स्तान शूगर मिल्स लिमिटेड, गोलागोकरणानाथ द्वारा देय गने के मूल्यों में से सम्मत कटौती के रूप में उत्पादक शेयर पूँजी एकत्रित की जा रही है। पूँजी के निर्गम के लिये अनुज्ञाप्तिधारी का आवेदन पत्र पूँजी द्वारा नियंत्रक के विचाराधीन है। हिन्दुस्तान शूगर मिल्स के पास सयंत्र और मजीनरी का एक खासा भाग पहले से ही उपलब्ध है जोकि भूमि अभिग्रहण करने के उपरान्त पालियाकलां को स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।